



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी केकडी

प्रार्थना पत्र संख्या – 85/2017

मु. बाली वगै. बनाम माधु वगै.

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.6.2018	<p>पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सरसडी में पेश हुई । प्रार्थी के मूल वाद का निस्तारण हो जाने से पत्रावली में अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नही होने पत्रावली खारिज योग्य हे । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी केकडी</p>	